न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—46/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/46)

1. मंगला पुत्र सूजा जाति भांबी
2. छगन पुत्र चंद्रा जाति गुर्जर
3. कालू पुत्र मंगला जाति गुर्जर
   समस्त निवासी ग्राम नंदा जी ढाणी, नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. खेमराज नागौरा पुत्र प्रभुदयाल
2. देवेंद्र नागौरा पुत्र खेमराज
   समस्त जाति खटीक निवासी फुलागंज, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
3. इंद्रजीत सिंह पुत्र गिरधारी लाल जाति कोली निवासी धोलाभाटा तहसील व जिला अजमेर।
4. लालचंद पुत्र छोगा जाति भांबी ग्राम नंदा जी की ढाणी, नांदला तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद , प्रकरण सं० 22/ 2018,

उपस्थितः—

1. श्री सुमित जैन, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शौकिन्द लाल अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 5
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—20.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण सांख्या 22/2018 में पारित आदेश दिनांक 11.11.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरूद्ध अपीलांटस उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि राजस्व ग्राम नांदला पटवार हल्का नांदला तहसील नसीराबाद अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 1237/4364 रकबा 0.68 है को वादीगण द्वारा क्रय करके उपपंजीयक नसीराबाद के समक्ष पंजीयन कराया जिससे हाल जमाबंदी में नामांतरकरण संख्या 1461 दिनांक 20.03.2017 व नामांतरकरण संख्या 512 दिनांक 05.07.2010 को वादीगण/रेस्पोडेंट के नाम अंकन कर दिया गया है तब से रेस्पोडेंट उपरोक्त आराजी पर खातेदार

काश्तकार चले आ रहे है अपीलांटस का उक्त आराजी से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है किंतु अपीलांटस ने रेस्पोडेंट का जबरन बेदखल करने हेतु कूटरचना कर रास्ता रोक लिया व जबरन कब्जा करने की धमकी दी तथा पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है अपीलांटस द्वारा दिनांक 20.09.2017 को गैर कानूनी तरीके से रेस्पोडेंट की आराजी पर बल पूर्वक हल चलाकर बाड़े बनाकर कब्जा कर लिया व निर्माण करने पर आमादा है अतः आराजी मुतनाजा पर अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंट को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया है पर रेस्पोडेंट को पुनर्स्थापित किया जावे एवं अपीलांटस को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद फरमाये जाने की इस्तदुआ चाही गई। यह की रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अपीलांटस को जरिये सम्मन तलब किया गया दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 3 मंगला पुत्र छोगा की मृत्यु हो जाने से उसका नाम तर्क किया गया शेष प्रतिवादी संख्या 1,2,4 व 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए मात्र रेस्पोडेंट के कथनों पर विश्वास करते हुए उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 का वाद स्वीकार करते हुए अपीलांटस को वादग्रस्त आराजी से बेदखल किए जाने के अविधिक निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2021 को पारित कर दिए जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस अपील प्रस्तुत कर रहा है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण ने अपना अभिभाषक नियुक्त कर रखा था जिन्होंने उसे कह रखा था जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जाएगा। अतः अभिभाषक द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रभावी पैरवी नहीं की गई और ना ही प्रकरण में निर्णय होने की कोई जानकारी प्रार्थीगण को प्रदान की गई। प्रार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त आदेश की जानकारी तहसीलदार नसीराबाद द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.01.2022 से प्राप्त हुई जिसके पश्चात अविलंब अपने अभिभाषक से संपर्क कर पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी का न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने इस विधिक तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस द्वारा दिनांक 14.01.2019 को अपना अभिभाषक नियुक्त कर लिया था जिन्होंने सम्पूर्ण प्रकरण कि पैरवी किए जाने का आश्वासन अपीलांटस को दिया था किंतु उनके द्वारा प्रकरण में अपीलांटस की और से ना तो प्रस्तुत दावे का जवाब दावा प्रस्तुत किया गया ना ही प्रभावी पैरवी की गई जिसके फलस्वरूप उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा बिना अपीलांटस को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिए बिना ही एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2021 मात्र रेस्पोडेंट के कथनों पर विश्वास करते हुए बिना मौके की वास्तविक स्थिति को देखे व समझे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने इस विधिक बिंदु को दरकिनार कर दिया कि उनके समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में यह कथन अंकित किया है की प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादग्रस्त आराजी पर दिनांक 20.09.2017 को बलपूर्वक हल चला कर बाडे बनाकर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है जबकि वास्तविक

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

स्थिति यह है कि अपीलांटस उक्त वादग्रस्त आराजी पर विगत 50 वर्षों से काबिज होकर परिवार के साथ स्थायी निर्माण कर रहवास करते चले आ रहे हैं उक्त वादग्रस्त आराजी पर ना तो मूल आवंटी का ना ही क्रेतागण का कभी कोई कब्जा रहा है। यदि तहत न्यायालय द्वारा मौके की स्थिति मंगाई जाती तो उक्त स्थिति स्वतः हो जाती किंतु मात्र रेस्पोडेंट के कथनों पर विश्वास कर निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने इस विधिक बिंदु पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में यह अंकित किया गया की दिनांक 20.09.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा षडयंत्रपूर्वक वादीगण का रास्ता रोक लिया और जबरन कब्जा करने की धमकी दी और पक्के निर्माण पर आमादा है एवं कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस का दिनांक 20.09.2017 से पूर्व कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है एवं वाद कारण दिनांक 20.09.2017 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 द्वारा वादीगण को हल चलाने नहीं दिया गया एवं बलपूर्वक कब्जा कर बाड़ा बनाकर पक्का निर्माण कर लिया जबकि वस्तुस्थिति यह है कि प्रतिवादीगण संख्या 3 मंगला पुत्र छोगा का स्वर्गवास दिनांक 25.06.2015 को ही हो गया था तो एक मृत व्यक्ति द्वारा वादीगण की आराजी पर कब्जा किया जाना असंभव है एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध वाद प्रथम दृष्टया ही शून्य है जिसे नहीं समझकर वादीगण का वाद स्वीकार करने में उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने इस विधिक बिंदु को दरकिनार कर दिया कि कोई भी आदेश या निर्णय पारित करने से पूर्व मौके एंव राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति की विधिवत जांच किया जाना नितांत आवश्यक है जिससे सभी पक्षों को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके वादग्रस्त आराजी की यदि जांच की जाती तो यह स्थिति स्पष्ट थी कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटस वर्षों से काबिज चले आ रहे हैं जिस पर वह अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं एवं उनके नाम से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किए हुए हैं मात्र रेस्पोडेंट के कथनों पर विश्वास कर निर्णय पारित करने में न्यायालय ने भारी भूल कारित की है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरित होने से काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने इस विधिक बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलांटस अभिभाषक द्वारा दिनांक 15.04.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होना जाहिर किया जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को पुनः नोटिस जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये जिसकी पालना में दिनांक 21.10.2021 को प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश किये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आगामी पेशी दिनांक 28.10.2021 को सभी की तामिली मानते हुए अपीलांटस के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बिना तनकीयात कायम किये उक्त दिवस को ही वाद/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का शपथ–पत्र रिकार्ड पर लेकर प्रकरण वास्ते बहस में नियत किये जाने के आदेश पारित दिए गए एक ही दिवस में सम्पूर्ण कार्यवाही निष्पादित किये जाने में उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने विधिक त्रुटि कायम की है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11/11/2021 निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये गये

है वह संतोषजनक नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट की क्रयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात हाल खसरा संख्या 1237/4364 रकबा 0.68 ग्राम नान्दला तहसील नसीराबाद में अवस्थित है। उक्त आराजी वर्तमान रेस्पोडेंट ने क्रय की थी जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन वर्तमान रेस्पोडेंट के नाम नामंतकरण संख्या 512 दिनांक 05.07.2010 द्वारा किया गया। वादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना देना नहीं है लेकिन वादीगण ने वर्तमान रेस्पोडेंट को जबरन बेदखल करने हेतु कूट रचना कर रास्ता रोक लिया जबरन कब्जा करने की धमकी दी तथा पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा है। वादीगण ने दिनांक 20.9.2017 को गैर कानूनी तरीके से वर्तमान रेस्पोडेंट की भूमि पर बलपूर्वक हल चलाकर बाडे बना कर कब्जा कर लिया निर्माण करने पर आमादा हो गए। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण द्वारा वर्तमान रेस्पोडेंट को दोषपूर्ण तरीके से बेदखल किया गया है, पर वर्तमान रेस्पोडेंट का कब्जा पुर्नस्थापित किया जावे। वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वादीगण को नोटिस जारी किए गए। वाद विचारण के दौरान वादीगण संख्या 3 की मृत्यु होने से उसका नाम तर्क किया गया। शेष वादीगण संख्या 1,2,4,5 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वर्तमान रेस्पोडेंट अपना वाद स्वयं सिद्ध करे। वादपत्र का कोई खण्डन नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की गई। अतः वादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा अतिचार की श्रेणी में आता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण ने अपने वाद के कथन अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई लेना–देना नही है लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को जबरन बेदखल करने हेतु कूट रचना कर उक्त आराजी पर कब्जा कर लिया। वादीगण की उक्त आराजी पर हल नहीं चालने दिया बाडे बना लिये है। विवादित आराजी से सम्बन्धित जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र के खण्डन हेतु प्रकरण में उपस्थित नहीं रहें। आराजी मुतनाजा निर्विवाद रूप से वादीगण की सह खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वर्तमान रेस्पोडेंट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से वादीगण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जाना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत् साधारण नोटिस व रजिस्टर्ड एड़ी नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री के0सी0बीजावत एड़वोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा दिनांक 15.04.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई निर्देश नहीं होना जाहिर करते हुए नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया गया था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझ उपस्थित होने से बचते रहे। जमाबंदी में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार हक व अधिकार नहीं होने से वादीगण विधि सम्मत प्रतिवादीगण को बेदखल कर व स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अधिकारी थे। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रक्रियात्मक व विधिक सम्मत होने से वादी का वाद को स्वीकार किया है। अपील अपीलांट निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गयी बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। मियाद के बिन्दु पर नरम रूप अपनाया जाना चाहिए। अतः प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई उक्त सद्भाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 04 छगना को मूल रजिस्टर्ड एडी नोटिस इस रिपोर्ट के साथ प्राप्त हुई कि इस नाम से नहीं वापिस भेजी की, जो कि नियमानुसार आदेश 05 जाप्ता दीवानी के तहत् प्रोपर तामील नहीं हुई है, उक्त तामीली, तामील की प्रक्रिया के तहत् तामीली की परिभाषा में नहीं आती है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी संख्या 04 छगना की प्रोपर तामील करवा कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2021 में प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित की हैं। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेको निर्णय में यह प्रतिपादित किया है कि पक्षकारान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो को ध्यान में रखते साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करना चाहिए। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.11.2021 को निरस्त किया जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे पक्षकारान की सम्यक तामीली करवा कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 22/2018 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.11.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारान को पक्षकारान की सम्यक तामीली करवा कर, साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वाद का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के न्यायालय में दिनांक 27.10.2022 को उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर